

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

58 / 2022
07.09.2022

जरिये नन्दराम मीणा, कृषि अधिकारी (पौ.स.) एवं उर्वरक निरीक्षक कार्यालय सहायक
निदेशक कृषि (वि.) टोंक

– प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री संजय वर्मा पुत्र श्री रामसमुझ वर्मा निवासी जी-162 रिको इण्ड. एरिया बनस्थली मोड निवाई जिला टोंक
- 2-श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री चिरंजीलाल जैन प्रोपराईटर मैसर्स राकेश इन्जिनियरिंग कम्पनी निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं.12 फूटी बावडी के पास निवाई जिला टोंक
- 3-श्री राकेश जैन पुत्र श्री चिरंजीलाल जैन, वार्ड नं.12 फूटी बावडी के पास निवाई जिला टोंक

– अप्रार्थी

उर्वरक निर्यंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1)(d) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7

उपस्थित:-

- 1- श्री नन्दराम मीणा, कृषि अधिकारी (पौ.स.) एवं उर्वरक निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) टोंक, प्रार्थी स्वयं।
- 2- श्री तेजमल जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 14.11.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2022 को सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक के साथ उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.स.) हाल पदस्थापन सहायक निदेशक कृषि (वि.) टोंक ने अवैध उर्वरक (DAP) भण्डारण की सूचना पर मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. जी-162, रिको इण्ड. एरिया, बनस्थली मोड, निवाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके



जिला कलेक्टर
टोंक

बालाजी टेप प्रा.लि. के प्रतिनिधि श्री संजय वर्मा को परिचय देकर फर्म जाब्ता तलाशी की गई एवं निरीक्षण में मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. जी-162, रिको इण्ड. एरिया, बनस्थली मोड, निवाई में 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम DAP उर्वरक का अवैध भण्डारण पाया गया। अवैध भण्डारित खाद से किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति बाधित होने की आशंका है एवं अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (d) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कि धारा 3/7 में प्रकरण दर्ज कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि दिनांक 26.08.2022 को मै. बालाजी टेप प्रा. लि. जी 162 इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई पर 272 बैग डीएपी उर्वरक जब्त किया गया जो राकेश इंजिनियरिंग कम्पनी जरिए प्रो.राकेश कुमार जैन निवासी निवाई द्वारा किशनराम मोहन लाल द्वारा जरिये बिल क्रय किये गये हैं उक्त डी. ए पी उर्वरक 272 बैग को मौके पर अवैध भण्डारण के रूप में मौके पर जब्त किये जाकर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति निवाई के कनिष्ठ लिपिक श्री रामबाबू शर्मा की कस्टडी में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त उर्वरक डीएपी का अवैध भण्डारण नहीं किया गया है तथा सभी कार्यवाही गलत एवं खिलाफ कानून है तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है, उक्त जब्तशुदा उर्वरक लाईसेंस धारी राकेश इंजिनियरिंग कम्पनी झिलाय रोड निवाई द्वारा नियमानुसार विक्रीत काश्तकारों को जरिये बिल विभिन्न तारीखों में बिक्री किये गये थे। वास्तविकता यह है कि भिन्न-भिन्न काश्तकारों ने राकेश इंजिनियरिंग कम्पनी से अपनी आवश्यकता के लिए दिनांक 11.08.2022 से दिनांक 21.08.2022 तक उर्वरक डीएपी बिलों से क्रय किया गया, लेकिन अत्यधिक बरसात के कारण उनको सुरक्षा की दृष्टि से मै. बालाजी टेप प्रा. लि. रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया में रखवाकर बाद में ले जाने की कहकर उर्वरक रखवा दिया था जो निम्न काश्तकारों का क्रयशुदा उर्वरक था।

ए. श्रीमति मनोहर देवी पत्नि चिरंजी लाल निवासी सुनारा हाल मुकाम निवाई

20 बैग दिनांक 12.08.2022 बिल नम्बर 2290

25 बैग दिनांक 13.08.2022 बिल नम्बर 2293

बी. शक्ति सिंह राघवेन्द्र सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह, मरुधर कंवर पत्नि वीर बहादुर सिंह निवासी सुनारा तहसील निवाई जिला टोंक

20 बैग दिनांक 12.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2286

20 बैग दिनांक 12.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2288



जिला कलेक्टर
टोंक

- 20 बैग दिनाक 11.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2287
 20 बैग दिनाक 21.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2289
 सी. रामस्वरूप व रामनारायण निवासी जगतपुरा तहसील निवाई
 18 बैग दिनाक 16.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2294
 18 बैग दिनाक 17.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2296
 15 बैग दिनाक 18.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2297
 डी. छीतर नेहनू पुत्र लछमा मीणा निवासी श्रीजगपुरा (थूणी) तहसील निवाई
 20 बैग दिनाक 17.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2295
 20 बैग दिनाक 18.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2298
 20 बैग दिनाक 18.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2299
 6 बैग दिनाक 19.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2300
 ई. चिंरजी लाल पुत्र किस्तूर चन्द जाति जैन निवासी सुनारा हाल मुकाम निवाई
 तहसील निवाई
 15 बैग दिनाक 12.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2291
 16 बैग दिनाक 12.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2292

उक्त प्रकार से जब्तशुदा 272 बैग उर्वरक डी ए पी उक्त काश्तकारों के क्यशुदा सुरक्षा हेतु रखे हुए थे, जो वैध रूप से रखे हुए थे तथा उक्त काश्तकारों से प्रार्थीगण की अच्छी जानकारी होने के कारण उन्होंने विश्वास से क्रय किये थे जो उन्हें प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। अतः कार्यवाही ड्राप की जाकर उक्त जब्तशुदा 272 बैग उर्वरक डीएपी प्रतिपक्षीगण को वापस दिलाये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण मे प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 26.08.2022 को सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक के साथ उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) हाल पदस्थापन सहायक निदेशक कृषि (वि.) टोंक ने अवैध उर्वरक (DAP) भण्डारण की सूचना पर मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. जी-162, रिको इण्ड. एरिया, बनस्थली मोड, निवाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि-विभाग टोंक से कृषि अधिकारी (सामान्य) एवं कृषि पर्यवेक्षक, कार्यालय उपनिदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद टोंक साथ रहे। निरीक्षण के दौरान मौके पर मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. के प्रतिनिधि श्री संजय वर्मा उपस्थित पाये गये को परिचय देकर फर्म जाब्ता तलाशी ली गई एवं निरीक्षण में मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. जी-162, रिको इण्ड. एरिया, बनस्थली



जिला कलेक्टर
 टोंक

मोड, निवाई में 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम DAP उर्वरक का अवैध भण्डारण पाया गया। DAP उर्वरक निर्माता इण्डियन पोटाश लिमिटेड बैंच संख्या (02) -F/22 के 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम वजन को FCO 1985 की धारा 28 (1) (d) में जब्त किया गया। उर्वरक जब्ती के दौरान श्री राकेश कुमार जैन प्रतिनिधि मैसर्स राकेश इन्जिनियरिंग कम्पनी, निवाई उपस्थित हुये और उन्होंने बताया की उक्त उर्वरक मैसर्स राकेश इन्जिनियरिंग कम्पनी, निवाई, जिला टोंक का है जिसके कय बिल हमारे पास है जो कि किसनराम मोहनलाल एण्ड कम्पनी, देवली, जिला टोंक से प्राप्त हुये है। उक्त 272 बैग अवैध भण्डारित किये गये DAP उर्वरक को किसान कय विक्रय सहकारी समिति, निवाई के कनिष्ठ लिपिक श्री रामबाबू शर्मा की अभिरक्षा में देकर सुरक्षित रखने का वचन लेकर सुपुर्दगी दी गई। अवैध भण्डारित खाद से किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति बाधित होने की आशंका है एवं अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन होने से उक्त खाद जप्त सरकार किया गया है जिसे राजसात किया जावे।


अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

हमने प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थीगण जवाब/बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती /मौका निरीक्षण रिपोर्ट दि० 26.08.2022 के अनुसार मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. जी-162, रिको इण्ड. एरिया, बनस्थली मोड, निवाई का निरीक्षण करने पर मौके पर 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम DAP उर्वरक का अवैध भण्डारण पाया गया। DAP उर्वरक निर्माता इण्डियन पोटाश लिमिटेड बैंच संख्या (02) -F/22 के 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम वजन को FCO 1985 की धारा 28 (1) (d) में जब्त किया गया।

जांच/निरीक्षण करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम DAP उर्वरक का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका जप्ती/मौका रिपोर्ट पर कजोडमल गुर्जर, राकेश जैन, रामजीलाल तथा सहायक कलेक्टर टोंक के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी कजोडमल गुर्जर, रामजीलाल तथा हरिराम के हस्ताक्षर है। किसान कय विक्रय सहकारी समिति, निवाई के कनिष्ठ लिपिक श्री रामबाबू शर्मा को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि उक्त उर्वरक डीएपी का अवैध भण्डारण नहीं किया गया है तथा सभी कार्यवाही गलत एवं खिलाफ कानून है तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है, उक्त जब्तशुदा उर्वरक लाईसेंस धारी राकेश इन्जिनियरिंग कम्पनी झिलाय रोड निवाई द्वारा नियमानुसार विक्रीत काश्तकारो को जरिये बिल विभिन्न तारीखों में बिक्री किये गये थे, परन्तु मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 मे इन बिलो का उल्लेख नहीं है।





जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त खाद के अवैध भण्डारण के चलते मौका रिपोर्ट, नक्शा, फर्द जब्ती आदि पत्र तैयार कर उक्त खाद को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (d) के अनुसरण में जब्त किया गया है। अवैध भण्डारित खाद से किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति बाधित होने की आशंका है एवं अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। अतः उक्त DAP उर्वरक (खाद) को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 272 नग DAP उर्वरक प्रत्येक 50 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। कृषि अधिकारी (पौ.स.) एवं उर्वरक निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.)टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा DAP उर्वरक (खाद) का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

